उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (अधि0)
संख्या-3/2019-एस0ई0-4-418/दस-2019-ई0एम0-11/07
लखनऊ : दिनांक : 11 मार्च, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या-एफ0एस0-1-281/दस-82, दिनांक 21-10-1982 द्वारा वित्त परीक्षण प्रकोष्ठ के लिए सृजित निम्नलिखित पदों, जिनके कार्यकाल की निरन्तरता कार्यालय-ज्ञाप संख्या-एस0ई0-4-979/दस-2018-ई0एम0-11/07, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा दिनांक 01 मार्च, 2018 से 28 फरवरी, 2019 तक बढाई गई थी, को दिनांक 01 मार्च, 2019 से 29 फरवरी, 2020 तक, यदि इससे पूर्व ही इन्हें बिना सूचना के समाप्त न कर दिया जाये, बढ़ाये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड (रूपये में)
1	**2**	**3**	**4**
1	सहायक निदेशक	एक	56100-177500 यथा संशोधित लेवल-10
2	आशुलिपिक	एक	35400-112400 यथा संशोधित लेवल-6
3	अनुसेवक (चपरासी)	एक	18000-56900 यथा संशोधित लेवल-1

2- उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो उन्हें अनुमन्य हों, देय होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-78 लेखाशीर्षक-"2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-03-सचिवालय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

दया शंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-3/2019-एस0ई0-4-418(1)/दस-2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार(लेखा प्रथम), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (सेवायें) अनुभाग-4 (लेखा) दो प्रतियों में।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग।
(6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, वित्त परीक्षण प्रकोष्ठ।
(7) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in